



वित्त मंत्रालय
Ministry Of
Finance

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



सेवा कर के अधधीन वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि (क्या? / कैसे? / कहाँ?)

ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM UNDER SERVICE TAX (WHAT?/HOW?/WHERE?)

विमोचन कर्ता / Released by:

श्री. मंडलिका श्रीनिवास, भा.रा.से.
Shri. Mandalika Srinivas, I.R.S.

प्रधान मुख्य आयुक्त

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

तमिलनाडु और पुदुच्चेरी अंचल, चेन्नई

Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise

Tamil Nadu & Puducherry Zone, Chennai



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
तमिलनाडु और पुदुच्चेरी अंचल
26/1, जीएसटी भवन
नुंगम्बाक्कम
चेन्नई-34

Office of The Principal Chief
Commissioner
GST & Central Excise
Tamil Nadu and Puducherry Zone
26/1, GST Bhawan
Nungambakkam
Chennai-34

FAQ ON “ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM UNDER SERVICE TAX”

Q. What is the alternate dispute resolution mechanism under Service Tax by the Settlement Commission?

A. It is a quicker and cost-effective way to resolve disputes between taxpayers and the tax authorities outside the traditional court system.

Q. What are the benefits of using the alternate dispute resolution mechanism?

A. The benefits of using the alternate dispute resolution mechanism include faster resolution of disputes, reduced litigation costs, and reduced time and effort spent on dispute resolution. The Commission may also grant immunity from Prosecution, waive wholly or in part imposition of penalty, fine etc. against the main applicant as well as co-applicant based on the merits of the case.

Q. What types of Service Tax disputes can be resolved through the alternate dispute resolution mechanism?

A. All types of Service Tax disputes including Offence cases where a Show Cause Notice has been issued and the case is yet to be adjudicated can be resolved through the alternate dispute resolution mechanism. No application can be moved in the Settlement Commission if the adjudication order has been issued.

Q. What type of Service Tax Cases are excluded from the purview of the Settlement Commission?

A. Following category of cases are excluded from the purview of the Settlement Commission:

- a. Cases where no return has been filed (Provided that the Settlement Commission, if it is satisfied that the circumstances exist for not filing the returns, allow the application to make such application).
- b. Cases where no Show Cause Notice has been issued to the applicant.
- c. Cases where the Service Tax is below Rs. 3 lakhs.
- d. Cases which are pending with the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or with a Court at the time of making the application.
- e. Cases involving De novo proceedings.
- f. Cases involving Classification issues.

Q. How does the alternate dispute resolution mechanism work?

A. The alternate dispute resolution mechanism involves submitting an application in a prescribed format along with fees of Rs. 1000/- per application to the Settlement Commission which may refer the application to Commissioner (Investigation) who examines/verifies/ investigates it before a hearing is fixed in the matter. The Settlement Commission may also seek the opinion of technical experts and may settle the dispute through an order.

Q. What happens if the Settlement Commission passes an order in favour of the applicant?

A. If the Settlement Commission passes an order in favour of the applicant, the applicant is required to pay the tax, interest, and penalty as per the order within 30 days of the receipt of the order.

Q. Can the order passed by the Settlement Commission be challenged?

A. No, the Order of Settlement Commission cannot be appealed against by the tax payer as well as the department. However, Hon'ble High Court may admit writ at the discretion if the order is passed contrary to the provisions of Acts or Rules.

Q. What happens if the applicant does not comply with the order passed by the Settlement Commission?

A. An applicant is required to pay, within 30 days of receipt of a copy of the order, the duty, interest, fine and penalty payable in pursuance of the final order, if any. If such amount is not paid by the applicant within stipulated period, the amount shall be recovered along with interest due by the Jurisdictional Officers. Immunity granted against prosecution will also stand withdrawn.

Q. Can the taxpayer file a fresh application with the Settlement Commission for the same dispute?

A. No, the taxpayer cannot file a fresh application with the Settlement Commission for the same dispute once an application has been rejected or the order has been passed.

Q. Can the applicant request for a personal hearing before the Settlement Commission?

A. Yes, the applicant can request for a personal hearing before the Settlement Commission, and the Commission may allow it if it deems fit.

Q. Can the applicant attend the personal hearing virtually?

A. Yes, for conducting virtual hearings, vide [Circular dt. 24.01.2023](#), the Commission has put in place a secure video conferencing solution.

Q. What is the time limit for passing an order by the Settlement Commission?

A. The Settlement Commission is required to pass an order within nine months from the last day of the month in which the application was made (which can be extended by another 3 months).

Q. Is the alternate dispute resolution mechanism under Service Tax by the Settlement Commission mandatory?

A. No, the alternate dispute resolution mechanism under Service Tax by the Settlement Commission is not mandatory. It is optional, and the taxpayer can opt for it if they deem fit.

Q. Is Settlement Commission empowered to grant immunities against Prosecution, fines and penalties?

A. Yes, the Commission is duly empowered to grant immunities against prosecution, fines and penalties, where deemed fit.

Q. Are the proceedings before the Settlement Commission Judicial Proceedings?

A. The proceedings before the Settlement Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 193 and 228, and for the purposes of Section 196 of the Indian Penal Code.

Q. Does the power of the Settlement Commission includes attachment of any property of the applicant?

A. Yes, the Settlement Commission may attach property of the applicant provisionally for protecting the interests of the revenue during the pendency of any proceeding.

Q. How can I get more information about the alternate dispute resolution mechanism under Service Tax by the Settlement Commission?

A. You can visit the official website (<https://settlementcommission-cest.gov.in/>) of the Settlement Commission or contact the Office of Commissioner (Investigation) at all the benches of the Settlement Commission for more information and assistance regarding the alternate dispute resolution mechanism.

Q. What is the address of the Additional Bench of Settlement Commission in Chennai?

A. The address of the Settlement Commission in Chennai is II Floor, Narmada Block, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600 001 (Email id-settcomm.tchn@nic.in).



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

DISCLAIMER- This FAQ is only for the purpose of awareness among the taxpayers but do not entail any right/claim before any department/legal authorities.

" सेवा कर के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि " पर बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न. समझौता आयोग द्वारा सेवा कर के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि क्या है?

उत्तर: यह पारंपरिक अदालत प्रणाली के बाहर करदाताओं और कर प्राधिकारियों के बीच विवादों को समाधान करने का एक त्वरित और लागत - प्रभावी उपाय है।

प्रश्न. वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि का उपयोग करने के लाभों में विवादों का त्वरित समाधान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी और काम समय और प्रयास में विवाद समाधान, शामिल है। आयोग मामले के गुण-दोष के आधार पर मुख्य आवेदक के साथ - साथ सह-आवेदक को अभियोजन से उन्मुक्ति भी प्रदान कर सकता है, दंड, जुर्माना आदि से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकता है।

प्रश्न. वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के माध्यम से किस प्रकार के सेवा कर विवादों को हल किया जा सकता है ?

उत्तर: आपराधिक मामलों सहित सेवा कर के सभी प्रकार के विवाद, जिनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो और मामले का अधिनिर्णयन बाकी हो, वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के माध्यम से हल किए जा सकते हैं। यदि अधिनिर्णयन आदेश जारी कर दिया गया है तो समझौता आयोग में किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न. किस प्रकार के सेवा कर मामलों को समझौता आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है ?

उत्तर: निम्नलिखित श्रेणी के मामलों को समझौता आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है :

(क) ऐसे मामले जहां कोई रिटर्न फाइल नहीं किया गया हो (यदि समझौता आयोग संतुष्ट है कि रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं तो वह ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है)।

(ख) ऐसे मामले जिनमें आवेदक को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया हो।

(ग) ऐसे मामले जहां सेवा कर 3 लाख रुपये से कम हो।

(घ) ऐसे मामले जो आवेदन प्रस्तुत करने के समय आयुक्त (अपील), अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित हों।

(च) नए सिरे से की जाने वाली (डे नोवो) कार्यवाही से जुड़े मामले।

(छ) वर्गीकरण मुद्दों से जुड़े मामले।

प्रश्न. वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि कैसे काम करता है?

उत्तर: वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक के लिए ₹ 1000/- शुल्क के साथ समझौता आयोग को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है, जो मामले में सुनवाई तय होने से पहले इसकी परीक्षण / सत्यापन / जांच करते हैं। समझौता आयोग तकनीकी विशेषज्ञों की राय भी ले सकता है और आदेश के माध्यम से विवाद का निपटारा कर सकता है।

प्रश्न. यदि समझौता आयोग आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करता है तो क्या होता है ?

उत्तर: यदि समझौता आयोग आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करता है, तो आवेदक को आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आदेशानुसार कर, ब्याज और जुर्माना का भुगतान करना होता है।

प्रश्न. क्या समझौता आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जा सकती है?

उत्तर: नहीं, समझौता आयोग के आदेश के विरुद्ध न तो आवेदक और ना ही विभाग द्वारा अपील की जा सकती है। तथापि, यदि अधिनियमों या नियमों के उपबंधों के विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय विवेकाधिकार पर रिट याचिका स्वीकार कर सकता है।

प्रश्न. यदि आवेदक समझौता आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करता है तो क्या होता है ?

उत्तर: आवेदक को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, अंतिम आदेश के अनुसरण में देय शुल्क, ब्याज, दंड एवं जुर्माना, यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करना पड़ता है। यदि ऐसी राशि का भुगतान किसी आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह राशि क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा देय ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। अभियोजन से दी गई उन्मुक्ति / छूट भी प्रत्याहारित की जाएगी।

प्रश्न. क्या करदाता उसी विवाद के लिए समझौता आयोग के समक्ष नया आवेदन दायर कर सकता है ?

उत्तर: नहीं, करदाता एक बार आवेदन खारिज होने या आदेश पारित होने के बाद उसी विवाद के लिए समझौता आयोग को नया आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

प्रश्न. क्या आवेदक समझौता आयोग के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है ?

उत्तर: हां, आवेदक समझौता आयोग के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है, और यदि आयोग उचित समझे तो इसकी अनुमति दे सकता है।

प्रश्न. क्या आवेदक आभासी (वर्चुअल) रूप से व्यक्तिगत सुनवाई में भाग ले सकता है?

उत्तर: हां, आभासी रूप से सुनवाई आयोजित करने हेतु दिनांक 24.01.2023 के परिपत्र के माध्यम से आयोग द्वारा सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न. समझौता आयोग द्वारा आदेश पारित करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: जिस महीने में आवेदन किया गया था उस महीने के अंतिम दिन से नौ महीने के भीतर (जिसे और 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है) समझौता आयोग द्वारा आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।

प्रश्न. क्या समझौता आयोग द्वारा सेवा कर के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, समझौता आयोग द्वारा सेवा कर के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि अनिवार्य नहीं है। यह वैकल्पिक है, और करदाता यदि उचित समझे तो इस विकल्प को चुन सकता है।

प्रश्न. क्या समझौता आयोग को अभियोजन, जुर्माना और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने का अधिकार है ?

उत्तर: हां, उचित समझे जाने पर आयोग को अभियोजन, जुर्माना और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने का विधिवत अधिकार है।

प्रश्न. क्या समझौता आयोग के समक्ष प्रक्रियाएं न्यायिक प्रक्रियाएं हैं ?

उत्तर: समझौता आयोग के समक्ष की प्रक्रियाएं भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के भीतर तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया मानी जाएगी।

प्रश्न. क्या समझौता आयोग की शक्ति में आवेदक की किसी संपत्ति की कुर्की शामिल है?

उत्तर: हां, समझौता आयोग किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आवेदक की संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकता है।

प्रश्न. मैं समझौता आयोग द्वारा सेवा कर के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर: वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाविधि के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप समझौता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (<https://settlementcommission-cest.gov.in/>) देख सकते हैं या समझौता आयोग के सभी पीठों में आयुक्त (अन्वेषण) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न. चेन्नई में समझौता आयोग के अतिरिक्त पीठ का पता क्या है ?

उत्तर: चेन्नई में समझौता आयोग का पता II तल, नर्मदा ब्लॉक, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सालै, चेन्नई - 600 001 है (ई - मेल आई.डी. - settcomm.tnchn@nic.in)।

अस्वीकरण- यह बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न केवल करदाताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं परंतु इसके आधार पर किसी भी विभाग / विधिक प्राधिकारियों के समक्ष किसी अधिकार / दावा नहीं किया जा सकता है।



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
तमिलनाडु और पुदुच्चेरी अंचल
26/1, जीएसटी भवन
नुंगम्बाक्कम
चेन्नई-34

Office of The Principal Chief
Commissioner
GST & Central Excise
Tamil Nadu and Puducherry Zone
26/1, GST Bhawan
Nungambakkam
Chennai-34